छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा द्वादश सत्र अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2013

(फाल्गुन-1, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पुछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित एवं 38 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 **पटल पर रखा।**

4. मंत्री का वक्तव्य

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-17 (क्रमांक-257) के उत्तर के संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, देवजी पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने अंबुजा सीमेंट संयंत्र में मिश्रण टंकी की दीवार ढहने से श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश के मजदूरों को अन्य सीमावर्ती राज्यों में ले जाकर प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. वर्ष 2012-2013 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 30, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 49, 64, 65, 71, 75, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **आठ सौ छियासी करोड़, अठासी लाख, इकतीस हजार, दौ सौ रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(1.30 से 3.05 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री भीमा मंडावी, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, खेदूराम साहू, दूजराम बौद्ध, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, राजू सिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2013 (क्रमांक-1 सन् 2013)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2013 (क्रमांक-1 सन् 2013) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2013 (क्रमांक-1 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 5.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 21 फरवरी, 2013 (फाल्गुन, 2 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा